अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (11) ग्रावि/अनु–5/क्यू.सी./तृतीय पक्ष निरी. 2015–16 जयपुर, दिनांक 30.11.15

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्,
राजस्थान समस्त।(सीकर व झुन्झुनूं को छोडकर)

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास, व इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अपूर्ण/बंद पडे आवासों के तृतीय पक्ष द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु सूची प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंगः– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27 (11) ग्रावि/अनु–5/क्यू.सी./तृतीय पक्ष निरी. 2015–16 जयपुर, दिनांक 5 नवम्बर, 2015

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कियान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्पादित/निर्माणाधीन कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु सरकारी/गैर–सरकारी कॉलेज/स्वयं सेवी संस्था/व्यक्तियों को प्रासांगिक पत्र द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। उक्त प्रासांगिक पत्र में वर्णित दिशा–निर्देशानुसार सूचीबद्ध तृतीय पक्ष संस्थाओं से अपूर्ण/बंद/ विवादित आवासों के भौतिक सत्यापन/ जांच हेतु कार्य आवंटित किया जाना है।

अतः योजनान्तर्गत विभिन्न वर्षो में स्वीकृत आवासों में अपूर्ण/बंद/विवादित/अन्य कारणों से पूर्ण नहीं हो पा रहे आवासों की ग्राम पंचायत/ पंचायत समितिवार लाभार्थियों की वर्षवार, योजनावार सूची एक्सल फोरमेट में सॉफ्टकॉपी तैयार कराकर दिनांक 4.12.2015 तक विभागीय ई–मेल pdengg_rdd@yahoo.com पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।

30/11/15
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी, आवास, जिला परिषद्, समस्त को पालनार्थ।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

D:\Suresh SE RD PC\SURESH PA 2014-15.docx